[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना सं. 19/2019-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2019

सा.का.नि. (अ).- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट वर्णन के माल और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय, शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मद के अंतर्गत आने वाले तथा उक्त सारणी के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माल को, जब रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार या रक्षा बल द्वारा भारत में आयात किया जाता है, तो उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण सीमाशुल्क से निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन छूट देती है, अर्थात् :-

(क) भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद से अन्यून का कोई अधिकारी, प्रमाणित करता है,
   (i) आयातित माल की मात्रा, वर्णन और तकनीकी विशेषता; और
   (ii) कि उक्त माल को केवल रक्षा बलों के उद्देश्य के लिए और उसके द्वारा प्रयोग करने के लिए आशयित है तथा आयातित माल को छूट देने की सिफारिश करता है;

(ख) आयातकर्ता, आयात के समय, यथास्थिति सीमाशुल्क उपायुक्त या सीमाशुल्क सहायक आयुक्त को उक्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।

सारणी

क्रम संख्या	अध्याय या शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद	माल का वर्णन
(1)	(2)	(3)
1.	8406 82 00	नौ सेना यान के लिए 5-15 मेगावाट के उत्पादन वाले भाप टरबाइन और अन्य वाष्प टरबाइन
2.	8408 10 93	नौसेना यान के लिए 3 मेगावाट से अधिक उत्पादन वाले कंप्रेशन इग्निशन अंतर्वहन पिस्टन इंजन
3.	8411 12 00	मिग-29 के या एलसीए के लिए टरबो जैट, टरबो-प्रोपेलर और अन्य गैस टरबाइन
4.	8411 21 00, 8411 22 00,	बहुआयामी या उपयोगी हैलीकाप्टर के लिए टरबो जैट, टरबो- प्रोपेलर और अन्य गैस टरबाइन
5.	8487 10 00	नौसेना यान के लिए नियंत्रण योग्य पिच प्रोपेलर के रुप में अपेक्षित पोत या नौका प्रोपेलर और ब्लेड
6.	8502 13 20,	1-3 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन वाले इलैक्ट्रिक जनित्र सेट

	8502 13 30 8502 13 40	
7.	8502 39 90	1 मेगावाट और इससे अधिक ऊर्जा उत्पादन वाले इलैक्ट्रिक जनित्र सेट
8.	8543 70 13	माईन डिटेक्टर स्वीप के लिए माईन डिटेक्टर
9.	8705 90 00	यान आधारित माईन प्रकीर्णन प्रणाली के लिए व्यक्तियों या माल के परिवहन हेतु मुख्य रुप से डिजाइन के अतिरिक्त, विशेष उद्देश्य के मोटरयान
10.	84,85, 8802 12 00, या 90	(I) 2000 कि.ग्रा. से अधिक लदान रहित भार का हैलीकाप्टर जो निम्नलिखित प्रकार के हैं :- (क) सह-एक्सल इंटरमेशिंग या टैंडम रोटर वाले सैन्य हैलीकॉप्टर (के ए 31, कामोव के ए 226, चिनूक) (ख) 3500 कि.ग्रा. से अधिक खाली भार वाले सैन्य हैलीकाप्टर (बहुआयामी और उपयोगिता हैलीकॉप्टर, अपाचे एएच 64ई) (II) उपरोक्त (I) में उललिखित माल के लिए सहबद्ध भूमिका उपस्कर, भूतल सहायक उपस्कर, भूतल हैंडलिंग उपस्कर, गोला बारुद, विशेष रखरखाव औजार, विशेष परीक्षण उपस्कर और अतिरिक्त पुर्जे
11.	84,85, 8802 20 00, या 90	(I) सैन्य प्रशिक्षक विमान प्रवर्ग के अधीन अपेक्षित 2000 से अनधिक लदान रहित भार वाले वायुयान और अन्य विमान (II) उपरोक्त (I) में उललिखित माल के लिए सहबद्ध भूमिका उपस्कर, भूतल सहायक उपस्कर, भूतल हैंडलिंग उपस्कर, गोला बारुद, विशेष रखरखाव औजार, विशेष परीक्षण उपस्कर और अतिरिक्त पुर्जे
12.	84, 85, 8802 30 00, या 90	(I) निम्नलिखित प्रवर्गों के अधीन अपेक्षित 2000 कि.ग्रा. से अधिक किंतु 15,000 कि.ग्रा. से अनधिक लदान रहित भार वाले विमान और अन्य यान, -- (क) सैन्य प्रयोग के लिए आरपीए-35000 फीट से अधिक ऊंचाई पर प्रचालित होने वाला (एचएएलई - हाई एल्टीट्यूड लांग इन्डयोरेंस); (ख) लड़ाकू विमान (एमएमआरसीए, एमआरएफए) (II) उपरोक्त (I) में उललिखित मालों के लिए सहबद्ध भूमिका उपस्कर, भूतल सहायक उपस्कर, भूतल हैंडलिंग उपस्कर, गोला बारुद, विशेष रखरखाव औजार, विशेष परीक्षण उपस्कर और अतिरिक्त पुर्जे
13.	84, 85, 8802 40 00, या 90	(I) निम्नलिखित प्रवर्गों के अधीन अपेक्षित 15,000 कि.ग्रा. से अधिक लदान रहित भार वाले वायुयान और अन्य विमान, --

		(क) वाहन जनित लड़ाकू विमान (ख) सैन्य यातायात विमान (सी-130, सी-17); (ग) फ्लाइट रिफ्यूलर विमान (घ) अवाक्स विमान; (ङ) टोही और खोजी विमान; (च) जलथल वायुयान; (II) उपरोक्त (I) में उललिखित मालों के लिए सहबद्ध भूमिका उपस्कर, भूतल सहायक उपस्कर, भूतल हैंडलिंग उपस्कर, गोला बारुद, विशेष रखरखाव औजार, विशेष परीक्षण उपस्कर और अतिरिक्त पुर्जे
14.	8803	शीर्ष 8801 या 8802 के माल के पुर्जे
15.	8805 10 20	विमान अरैस्टर गियर के रुप में अपेक्षित डेक अरैस्टर या समरूप गियर
16.	8906 90 00	विशेष प्रचालन के लिए जल के नीचे यान /प्लेटफार्म के प्रवर्ग के अधीन अपेक्षित अन्य जलयान, जिसके अंतर्गत युद्धपोत और रक्षा नौकाएं हैं, जो नौदौड नौकाओं से भिन्न हैं
17.	9301 10	बंदूक (127 एमएम) के प्रवर्ग के अधीन तोपखाना शस्त्र (उदाहरणार्थ तोप, होवित्जर और मोर्टार)
18.	9301 10 90	150 एमएम के व्यास से अधिक और 4500 कि.ग्रा. या उससे कम भार वाले या कम के हेली पोर्टेबल होवित्जर प्रवर्ग के अधीन तोपखाना शस्त्र
19.	9303	स्नाइपर राइफल .338 इंच या उससे अधिक के प्रवर्ग के अधीन राइफल
20.	84, 85, 87, 90 या 9306	(I) 250 एमएम से अधिक व्यास के राकेट ; (II) एकीकृत वायु रक्षा आयुध प्रणाली (आईएडीडब्ल्यूएस); (III) उपरोक्त (II) में उललिखित यान, प्रक्षेपक, कंटेनरयुक्त मिसाइल, बन्दूक, राडार, कमांड पोस्ट, सेंसर प्रणाली, उर्जा जनित्र इकाई, माल के रखरखाव और मरम्मत वाले उपस्कर;
21.	84, 85, 90 या 9306 90 20	(I) निम्नलिखित माल, अर्थात् -- (क) 8-32 कि.मी. की क्षमता का पोत प्रक्षेपक मिसाइल ; (ख) 100 कि.मी. से अधिक क्षमता वाली भूमि आधारित मिसाइल; (ग) टोरपेडो; (घ) कंधे पर रखकर सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल ; (ङ) सबमरीन प्रक्षेपण भूमि पर हमला करने वाली क्रूज मिसाइल; (च) पोत-रोधी हारपून मिसाइल ; (छ) मध्यम क्षमता की पोत-रोधी मिसाइल

		(II) लम्बी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली (एलआरएसएएम) (III) उपरोक्त (II) में उललिखित मिसाइल, कमांड और नियंत्रण इकाई, राडार, स्वचालित प्रक्षेपक, अनुरुपक, इन्फलेटेबल डमीज़, यान, ऊर्जा जनित्र ईकाई तथा माल के रखरखाव और मरम्मत वाले उपस्कर
22.	84, 85, 87, 9301 10 10, 93	(I) स्वचालित वायुरक्षा बन्दूक मिसाइल प्रणाली (II) उपरोक्त (I) में उल्लिखित माल के लिए यान, मिसाइल, बंदूक, राडार, कमांड और नियंत्रण पोस्ट
23.	73, 84, 85 या 93	(I) एके – 203 राइफल के विनिर्माण के उपयोग हेतु पुर्जे, उप-पुर्जे, इनपुट ; (II) उपरोक्त (I) में उल्लिखित माल के लिए मशीनरी, फिक्सचर, गेज, औजार और जिग

2. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात 1 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।

[फाइल सं. – 334/3/2019-टीआरयू]

(रुचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार